प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 60/2023 दिनांक 13/3/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट धारायें – 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 228 समय 3:45 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन **रविवार** दिनांक 04.12.2022 समय 03.50 से 04.50 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.12.2022 समय 02.27 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब **दक्षिण–पश्चिम** दिशा, लगभग 350 किलोमीटर
(2) पता – पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : – श्री शादाब नजीर
(2) पिता का नाम : – श्री हसन खां
(3) आयु : – 22 साल
(4) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : – पार्ट टाईम, एम्बूलेन्स ड्राईवर चित्तौडगढ
(7) पता : – निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री सीताराम खोईवाल पुत्र श्री नाथलाल खोईवाल उम्र 55 साल निवासी ग्राम पुर, पुलिस थाना पुर जिला भीलवाडा हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस चौकी सिंहपुर पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	5000 रूपये	परिवादी श्री शादाब नजीर

से आरोपी श्री सीताराम खटीक, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस चौकी सिंहपुर पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ द्वारा उसके विरूद्व उसकी पत्नि द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नही करना, उसको एवं परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल नही भेजने की एवज में दिनांक 04.12.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर लेना तथा शेष रिश्वत राशि 4000 रूपये को कल–परसों दे जाना हेतु सहमत होना ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 5000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

दिनांक 12.12.2022 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने श्री प्रमेन्द्र कुमार पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ को आकर बताया कि परिवादी श्री शादाब नजीर का मेरे पास फोन आया है तथा मुझे बताया कि मेरे पास रूपयों की व्यवस्था हो गई है तथा मैं अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु आपके कार्यालय में आ रहा हूं जिस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से समय करीब 10.10 ए.एम. पर जरिये तहरीर श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौडगढ के पास श्री श्याम लाल हैड कानि0 को दो स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु भेजा गया जिस पर समय करीब 10.30 ए. एम. पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर दो स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित आयें । दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री संजय कुमार पचौरी पुत्र श्री दीनानाथ पचौरी उम्र 56 साल जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर 33 ए. प्रतापनगर चित्तौडगढ हाल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय किला रोड चित्तौडगढ एवं दुसरे ने अपना नाम श्री कपील देव यादव पुत्र श्री महावीर प्रसाद यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम निमती, तहसील नीम का थाना जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भोई खेडा जिला चित्तौडगढ होना बताया जिसे पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपना परिचय देकर कार्यालय मे बैठाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.00 ए. एम. पर परिवादी श्री शादाब नजीर कार्यालय में उपस्थित आया जिस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री शादाब नजीर पुत्र श्री हसन खां उम्र 22 साल जाति पठान निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ होना बताया, साथ ही परिवादी ने बताया कि मैनें आपसे दिनांक 04.12.2022 को जरिये दूरभाष वार्ता की थी तथा आपके निर्देशानुसार आपके कार्यालय के श्री जितेन्द्र सिंह को प्रार्थना पत्र दिया एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 के साथ पुलिस चौकी सिंहपुर जाकर रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में आपके कार्यालय के वॉईस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड कर लाया था । इसके बाद श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर प्रार्थना पत्र को दिखाया गया तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा प्रस्तुत करना एवं प्रार्थी के रूप में अपने स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होने की ताईद की । इसके बाद डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर सुनाया गया तो परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की पुष्ठि करते हुए बताया कि इसमें एक आवाज मेरी है तथा दुसरी आवाज पुलिसकर्मी श्री सीताराम खटीक की है । परिवादी ने यह भी बताया कि मैं रिश्वत राशि 04 हजार रूपये अपने साथ लेकर आया हूं । इसके उपरान्त परिवादी को हिदायत देकर कार्यालय में बैठाया गया । तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया । चुंकि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है तथा परिवादी भी अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु रिश्वत राशि 04 हजार रूपये लेकर उपस्थित आया है । अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई ।

दर्ज रहे कि दिनांक 04.12.2022 को समय करीब 01.24 पी.एम पर श्री प्रमेन्द्र कुमार पुलिस उप अधीक्षक को श्री खालिद हुसैन कानि0 ने जरिये दूरभाष बताया कि एक परिवादी श्री शादाब नजीर निवासी सिंहपुर जिला चित्तौडगढ ने मेरे किसी परिचित के माध्यम से सम्पर्क कर बताया वह गोपनीय कार्यवाही करवाना चाहता है जिस पर मैनें खालिद हुसैन कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी को एसीबी कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होने हेतु कहा एवं यह भी कहा कि परिवादी को बता देना कि श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 सम्पर्क कर लेगा । इसके उपरान्त समय करीब 01.42 पी.एम पर पुलिस उप अधीक्षक ने श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को जरिये दूरभाष निर्देशित किया कि आप तुरन्त एसीबी कार्यालय पहूंचों जहां पर एक परिवादी श्री शादाब नजीर मिलेगा जिससे मिलकर उसके मोबाईल से कॉल कर मेरी वार्ता करवाये । इसके उपरान्त समय करीब 02.27 पी.एम पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने परिवादी श्री शादाब नजीर निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 8529368520 से मेरे मोबाईल नम्बर 8058382757 पर कॉल कर वार्ता करवाई तो परिवादी श्री शादाब नजीर ने बताया कि पुलिस चौकी सिंहपुर के पुलिसकर्मी श्री सीताराम खटीक व अन्य पुलिसकर्मी ने मेरे घर पर आकर मेरी माताजी को धमकाया कि तेरे बेटे की पत्नि ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दी है, तुम सब को जेल जाना पडेगा तथा कहा कि खर्चे पानी के पैसे दोगे तो तुम्हारे को गिरफ्तार नही करेगें । नही तो पुरें परिवार को जेल मे डाल देगें । मैं पुलिस कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हूं, उनको रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हूं । इस प्रकार मामला ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित होना पाया जाने से श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी श्री शादाब नजीर से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर ब्यूरो की कार्यप्रणाली अनुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन हेतु उसके साथ जावें तथा बाद सत्यापन के अवगत करावें ।

इसके उपरान्त समय करीब 05.22 पी.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने पुलिस उप अधीक्षक को जरिये वॉट्स–अप कॉल कर बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार मैं एसीबी कार्यालय चित्तौडगढ पर पहूंचा तथा समय करीब 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री शादाब नजीर एसीबी चौकी चित्तौडगढ पर उपस्थित आया था जिसकी मैनें आपसे समय करीब 02.27 पी.एम. पर वार्ता करवाने के उपरान्त आपके निर्देशानुसार परिवादी से रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जिसें कार्यालय में सुरक्षित रखने के पश्चात् कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर निकालकर परिवादी को उसे चालु व बन्द करने की समझाईश करने के उपरान्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर मैं परिवादी के हमराह मोटर साईकिल पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ था । इसके उपरान्त समय करीब 03.50 पी.एम पर परिवादी को आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिसकर्मी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के लिये रवाना किया था जिस पर परिवादी करीब 01 घंटे पश्चात् वापस आया तथा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मुझे दिया, जिसको मैनें बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरी श्री सीताराम जी खटीक से बात हो गई है, उन्होने मेरे से 07 हजार रूपये देने के लिये कहा तो मैनें कहा कि अभी तो मेरे पास हजार रूपये है जिस पर उन्होने मेरे से 01 हजार रूपये ले लिये तथा कहा कि 04 हजार रूपये और दे देना । परिवादी ने बताया कि अभी मेरे 04 हजार रूपये की व्यवस्था नही है जब भी पैसें की व्यवस्था हो जायेगी मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा । इस पर परिवादी से भी वार्ता की तो परिवादी ने भी उक्त तथ्यों की ताईद की । इसके उपरान्त श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी को गोपनियता बरतने की हिदायत कर रूखसत करें तथा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय में सुरक्षित रखें तथा पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित आने पर पेश करें । इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक दिनांक 06.12.2022 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने परिवादी श्री शादाब नजीर द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2022 मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के पेश किया जिस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो परिवादी द्वारा पूर्व में बताई गई रिश्वत राशि लेन–देन सम्बन्धी मामलें के तथ्य अंकित होना पाया गया । डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया । परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पुनः कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया । इसके पश्चात् समय करीब 12.20 पी.एम पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री संजय कुमार एवं श्री कपिल देव यादव से परिवादी श्री शादाब नजीर का आपस मे परिचय करवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु दोनो गवाहानों से मौखिक सहमती प्राप्त की गई । इसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 04.12.2022 को ब्यूरो कार्यालय मे पेश की गई रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने भी शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया । परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाई जाकर दिनांक 04.12.2022 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई । तत्पश्चात् समय करीब 12.40 पी.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष रिकार्डशुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.12.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट किया जाकर रिकार्डशुदा उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.12.2022 को ब्यूरो के पेन ड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 16 जी.बी. में सेव कर उक्त वार्ता की डब सीडी तैयार की गई थी । इसके उपरान्त पेन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सीलचीट किया गया तथा कपड़े की थैली पर भी दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । पेन ड्राईव एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सुपुर्द किया गया था । इसके उपरान्त समय करीब 02.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुलिस उप अधीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी श्री शादाब नजीर को संदिग्ध श्री सीताराम खटीक, पुलिस उप निरीक्षक पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4000 रूपये के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बरों को हुबहू फर्द में अंकित करवाने के उपरान्त परिवादी श्री शादाब नजीर द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 नम्बर 105 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोपथ्लीन पाउडर लगवाया

जाकर नोटों को परिवादी श्री शादाब नजीर की पहने हुए लोवर की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये । इसके अतिरिक्त परिवादी श्री शादाब नजीर के पास अन्य कोई शैः नही छोडी गई । श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 नम्बर 38 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 नम्बर 105 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 नम्बर 105 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 नम्बर 38 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादीगण एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया । तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री शादाब नजीर को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 नम्बर 105 को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द अलग से मुर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये थे ।

इसके उपरान्त समय करीब 02.30 पी.एम. पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री राजेश आचार्य, पुलिस उप निरीक्षक मय श्री मान सिंह कानि0 को मोटर साईकिल से तथा श्री श्याम लाल हैड कानि0 के साथ श्री खालिद हुसैन कानि0 को मोटर साईकिल से एवं श्री सुनील कुमार कानि0 को भी मोटर साईकिल से बजानिब सिंहपुर की ओर रवाना कर उनके साथ पुलिस उप अधीक्षक, परिवादी श्री शादाब नजीर, मय स्वतन्त्र गवाहान श्री संजय कुमार, श्री कपिल देव मय जाप्ता श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0, एवं श्रीमती टीना महिला कानि0 मय मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के प्राईवेट वाहन टवेरा के सिंहपुर जिला चित्तौडगढ की ओर रवाना होकर समय करीब 03.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के एवं मोटर साईकिलों से रवाना शुदा जाप्ता मय हमराहियानों के पुलिस चौकी सिंहपुर से कुछ पहले पहूंच वाहनों को एक साईड मे खडा करवाकर परिवादी श्री शादाब नजीर को गाडी से उतार कर आवश्यक हिदायत देकर संदिग्ध श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक को रिश्वत राशि देने हेतु मोटर साईकिल से पुलिस चौकी सिंहपुर की ओर रवाना कर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्राईवेट वाहन को एक तरफ साईड मे खडा करवाने के उपरान्त पुलिस उप अधीक्षक, दोनों गवाहान व स्टाफ के सदस्य भी परिवादी के पिछे–पिछे चलते हुए पुलिस चौकी सिंहपुर के आस–पास अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए खड़े हो नजर रखते हुए सभी सदस्य परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके उपरान्त समय करीब 03.25 पी.एम. पर परिवादी श्री शादाब नजीर पुलिस चौकी सिंहपुर से मोटर साईकिल से पुलिस उप अधीक्षक के पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा गया । इसके उपरान्त परिवादी श्री शादाब नजीर ने बताया कि श्री सीताराम खटीक, पुलिस उप निरीक्षक साहब चौकी में मौजुद थे और उनके हाथ में कागज थे और कहीं जाने के लिये तैयारी करे रहे थे और अन्य पुलिसकर्मी को कहकर गये कि मैं थोडी देर में आ रहा हूं । इसके उपरान्त श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक सिंहपुर चौकी के बाहर खडी अपनी गाडी लेकर निकल गये थे जिस पर मैं भी वहां से रवाना हो गया था । इस पर मन पुलिस उप

अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन मय परिवादी श्री शादाब नजीर मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहन मय मोटर साईकिलों के आरोपी सीताराम खटीक, पुलिस उप निरीक्षक के आने तक का ईन्तजार के लिये सूरक्षित स्थान कपासन हाईवे रोड पर कपासन की ओर रवाना होकर सुरक्षित स्थान पर पहूंचकर अपनी उपस्थिति छूपाते हुए मुकीम रहे । तत्पश्चात् समय करीब 04.20 पी.एम. पर परिवादी श्री शादाब नजीर से आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक के पुलिस चौकी सिंहपुर पर आने के सम्बन्ध में मालूमात करने के सम्बन्ध में कहा गया तो परिवादी ने अपने किसी मिलनें वाले से पता करके बताया कि आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक के पुलिस चौकी सिंहपुर पर ही है । इस समय पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन मय परिवादी श्री शादाब नजीर मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहन मय मोटर साईकिलों के पुलिस चौकी सिंहपुर की ओर रवाना होकर समय करीब 04.30 पी.एम. पर पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहन एवं मोटर साईकिलों से उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा जाप्ता मय हमराहियानों के पुलिस चौकी सिंहपुर से कुछ पहले वाहनों को एक तरफ साईड मे खडा करवाकर परिवादी श्री शादाब नजीर को गाडी से उतार कर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर समझाईश की गई कि उसके पास रखी डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करें । तत्पश्चात् परिवादी को संदिग्ध श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक को रिश्वत राशि देने हेतु मोटर साईकिल से पुलिस चौकी सिंहपुर की ओर रवाना किया जाकर पुलिस उप अधीक्षक, दोनों गवाहान व स्टाफ के सदस्य भी परिवादी के पिछे–पिछे चलते हुए पुलिस चौकी सिंहपुर के आस–पास अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए खड़े हो नजर रखते हुए सभी सदस्य परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके उपरान्त समय करीब 04.50 पी.एम. पर परिवादी श्री शादाब नजीर पुलिस चौकी सिंहपुर से मोटर साईकिल से पुलिस उप अधीक्षक के पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा गया । इसके उपरान्त परिवादी श्री शादाब नजीर ने बताया कि श्री सीताराम खटीक, पुलिस उप निरीक्षक साहब को रिश्वत राशि देने के लिये चौकी के सामने चौराहे पर पहूंचा तो देखा कि करीब 60–70 फिट की दूरी पर श्री सीताराम जी एक दुकान के अन्दर खडे थे तथा चौकी के अन्दर एक कानि0 मोबाईल पर वार्ता करता हुआ मेरी ओर आ रहा था और वह करीब 10 फीट की दूरी पर रहा होगा तब उसका फोन कटने पर कानि0 अचानक मुडकर चौकी के अन्दर चला गया तथा श्री सीताराम जी भी दुकान के बाहर खडी अपनी गाडी में बैठकर छापरी गांव की ओर रवाना हो गये थे, जिस पर मैं वहां से रवाना हो आपके पास आया हूं । इस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों से आज आरोपी द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण करने की कोई संभावना नही होने तथा सांय का समय होने से हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्य, दोनो गवाहान, परिवादी मय प्राईवेट वाहन मय मोटर साईकिलों से मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, रिश्वत राशि मय लेपटॉप प्रिन्टर के मौके से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिए रवाना होकर समय करीब 06.00 पी.एम. पर पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयानों के रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आयें जिस पर परिवादी श्री शादाब नजीर के पास रखी रिश्वत राशि के नोटों को गवाह श्री कपिल देव यादव से उसके जेब से निकलवाकर सुरक्षित एक लिफाफे मे रखवाई जाकर लिफाफे को एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने मे श्री श्याम लाल हैड कानि0 से रखवाया जाकर ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखें तथा आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक के पुलिस चौकी सिंहपुर पर आने पर अग्रिम कार्यवाही करावें, तो परिवादी ने बताया कि मेरे आज दो बार चौकी सिंहपुर पर गया हूं इसलिये वापस कल ही जाना ठीक नही रहेगा, मेरा निवेदन है कि मैं 04–05 दिन बाद आपके कार्यालय में आ जाउंगा तब आप कार्यवाही के लिये चले । इसके उपरान्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को अब तक की गई कार्यवाही की गोपनियता की हिदायत देते हुए पाबन्द किया गया कि जब आपकों ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ द्वारा तलब किया जावें तो तुरन्त उपस्थित होवें । इसके उपरान्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया एवं परिवादी श्री शादाब नजीर को 04–05 दिन बाद ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा ब्यूरो स्टाफ के सदस्यों को भी गोपनियता की हिदायत दी गई । आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

दिनांक 12.01.2023 को समय करीब 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री शादाब नजीर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया जिसने पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक चौकी सिंहपुर द्वारा मेरे से रिश्वत राशि लेने हेतु कोई सम्पर्क नही किया गया है । एक–दो बार मैने उसको फोन लगाया तो उसने फोन नही उठाया और ना ही वह मेरे से मिलना चाह रहा है । एक दिन मैं मेरे मिलने वालें के साथ पुलिस चौकी सिंहपुर पर गया था जिस पर पुलिस चौकी सिंहपुर के स्टाफ ने मुझे बाहर से ही कहा कि आपका चौकी पर कोई काम नही है की कहकर चौकी के बाहर से चले जाने के लिये कहते हुए कहा कि आपका कोई काम

पैण्डिंग नही है । आईन्दा यहां चौकी पर मत आना । इसके उपरान्त मैं वहां से रवाना होकर घर आया जिस पर मेरे द्वारा पता किया तो मेरे मिलने वालों ने मुझे बताया कि तेरे द्वारा पुलिस चौकी के थानेदार साहब श्री सीताराम खटीक साहब के विरूद्व एसीबी चित्तौडगढ में कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई है जिस पर मेरे द्वारा मेरे मिलने वालों को मना किया गया कि मेरे द्वारा कोई रिपोर्ट नही दी गई है । मेरे द्वारा कराई जा रही कार्यवाही की श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक को शंका हो गई अब वह मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा । इसके उपरान्त परिवादी श्री शादाब नजीर द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई कि श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा अतः मेरे द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पेश की गई राशि 4000 रूपये मुझे पुनः लौटाई जावें । उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर शामील पत्रावली की गई । इसके उपरान्त समय करीब 12.15 पी.एम. पर तलविदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री संजय कुमार पचौरी व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय किला रोड चित्तौडगढ एवं श्री कपिल देव यादव कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भोई खेडा जिला चित्तौडगढ को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होने हेतु जरिये दूरभाष तलब किया गया जिस पर श्री संजय कुमार पचौरी व्याख्याता (स्वतन्त्र गवाह) एवं श्री कपिल देव यादव कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बैठाया गया जाकर परिवादी द्वारा बताये गये सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को अवगत कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई । तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पी.एम. पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी शादाब नजीर द्वारा बताये गये तथ्यों से पाया गया कि आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नही करेगा ऐसी स्थिति मे अब ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है । अतः दिनांक 04.12.2022 को परिवादी व आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक चौकी सिंहपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर मे है । उक्त डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को मालखाने से निकलवाकर उपरोक्त गौतबिरान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे लगे एस.ई. 08 जी.बी. के मेमोरी कार्ड जिसमे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से निकलवाकर एक सफेद कागज मे लपेटकर उक्त कागज को मय मेमोरी कार्ड के एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द मूल मेमोरी कार्ड (08 जी.बी) एस.ई. 13 माईक्रो एस.डी. की मुर्तीब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तीब की गई । इसके उपरान्त समय करीब 01.00 पी.एम. पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोपथ्लीन पाउडर लगी रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के नम्बरी नोटो को मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि0 निकलवाकर उक्त रिश्वत राशि 4000 रूपये परिवादी श्री शादाब नजीर को गौतबिरान के समक्ष सुपुर्द की जाकर फर्द सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तीब की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये । फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तीब की गई । इसके उपरान्त परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया । उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण हालात श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रैंज उदयपुर को निवेदन किये गये ।

अब तक की कार्यवाही से श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए लोकसेवक होने के उपरान्त भी अपने वैध परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री शादाब नजीर पुत्र श्री हसन खां उम्र 22 साल जाति पठान निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ से उसके विरूद्व उसकी पत्नि द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नही करना, उसको एवं परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल नही भेजने की एवज में दिनांक 04.12.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर लेना तथा शेष रिश्वत राशि 4000 रूपये को कल–परसों दे जाना हेतु सहमत होना पाया गया ।

उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ का सेवा विवरण श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ महोदय से प्राप्त किया गया तो पाया गया कि उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री सीताराम खटीक पुलिस उप निरीक्षक का वास्तविक नाम रिकॉर्ड अनुसार श्री सीताराम खोईवाल पुलिस उप निरीक्षक है ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से तथा दिनांक 04.12.2022 में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से श्री सीताराम खोईवाल, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ के विरूद्व पृथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया है जो कि जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट. (संशोधित) 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्री सीताराम खोईवाल, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौडगढ

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सीताराम खोईवाल पुत्र श्री नाथलाल खोईवाल, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी सिंहपुर, पुलिस थाना कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 60/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 478-81 दिनांक 13.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

13.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।